संख्या-1/2017/642/33-2-17-37 जी/ 17

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
4- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0, लखनऊ।
5- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त वित्तीय परामर्शदाता, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 10 अप्रैल, 2017

विषय:- जिला पंचायतों में निविदायें सामान्य टेण्डर प्रणाली के स्थान पर ई- टेण्डरिंग व्यवस्था लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत जिला पंचायतों में निविदाये सामान्य टेण्डर प्रणाली से प्राप्त की जाती है। पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत जिला पंचायतों द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यो हेतु आमंत्रित टेण्डरों को असामाजिक तत्वों, अपराधियों और माफियाओं द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर प्राप्त कर लिया जाता है।

2- अत: जिला पंचायतों द्वारा आमंत्रित किये जाने वाले टेण्डरों की शुचिता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिला पंचायतों द्वारा जो भी टेण्डर आमंत्रित किये जायें, वे ई- टेण्डरिंग के माध्यम से प्राप्त किये जायें।

3- उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाय।

4- प्रश्नगत प्रक्रिया की समय-समय पर समीक्षा भी की जायेगी।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in